सं.ई-11011/27/2021/हिन्दी(रा.भा.का.स.)/ 520

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

300, नवीन पुस्तकालय भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66

दिनांक: 04 अप्रैल, 2024

विषय: अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28 मार्च, 2024 को आयोजित 155वीं बैठक का कार्यवृत्त और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में।
(Minutes of the 155th Meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Headquarters) held on 28 March, 2023 and time-bound action on decisions taken therein-reg.)

महोदय/महोदया,

अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 28 मार्च, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 155वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

<u>संलग्नक</u> : यथोक्त

भवदीया,

4/4/2024
(रजिन्दर पाल)
उप निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष सं: 29583720

1. समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग।
4. निदेशक, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.03.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित 155वीं बैठक का कार्यवृत्त

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 155वीं बैठक दिनांक 28.03.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की गई।

सर्वप्रथम इस बैठक के अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 155वीं बैठक में मुख्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य अभियंताओं तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों एवं उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा के उपरांत, केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं आयोग (मुख्यालय) में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में वृद्धि की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद, अध्यक्ष, के.ज.आ. महोदय ने सदस्य सचिव महोदया से बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कहा।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अनुमति से सदस्य सचिव महोदया ने बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बताया कि पिछली बैठक 20 दिसंबर, 2023 को हुई थी और उसके कार्यवृत्त 05 जनवरी, 2024 के पत्र द्वारा सभी सदस्यों और अनुभागों को परिचालित कर दिए थे। इस संबंध में कहीं से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कृपया इस कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए। तत्पश्चात, सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। सदस्य सचिव महोदया ने बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी 15 क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य अभियंताओं का स्वागत करते हुए उनके कार्यालयों में राजभाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा प्रारंभ की।

1. सदस्य सचिव महोदया ने कहा कि 31.12.2023 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में पहले से सुधार हुआ है और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, हिंदी कार्यशाला एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में आयोजित की गई है। अध्यक्ष महोदय ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य अभियंताओं को निदेश दिया कि यदि कोई अधीनस्थ कार्यालय अपरिहार्य कारणवश कार्यशाला का आयोजन करने में असमर्थ हो तो वह संबंधित मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशाला में ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकता है।

साथ ही, अध्यक्ष महोदय ने सभी 15 क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य तक सीमित न रहकर, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है और शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहना है। हिंदी में काम करने को सरल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकी (अनुवाद एवं टंकण) की समुचित सुविधा उपलब्ध है। साथ ही, तकनीकी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु

आयोग (मुख्यालय) द्वारा अद्यतित 'आंतरिक शब्दावली' वेबसाइट पर डाली जा रही है। अत: सभी क्षेत्रीय कार्यालय अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने हेतु कड़े कदम उठाएं। आगामी बैठक में इस संबंध में पुन: चर्चा की जाएगी।

(कार्रवाईः सभी क्षेत्रीय कार्यालय)

2. केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी अनुवादकों के पदों के सृजन/रिवाइवल तथा उन पदों पर भर्ती एवं इस प्रक्रिया के पूरी होने तक वार्षिक आधार पर कंसल्टेंटों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने स्थापना-7 अनुभाग को निदेश दिया कि मंत्रालय से इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध करें और स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करें कि अनुवादकों की भर्ती के मुद्दे को अलग रखते हुए, क्षेत्रीय कार्यालयों में कंसल्टेंटों की भर्ती हेतु समुचित कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित की जाए ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(कार्रवाईः स्थापना-7 अनुभाग, के.ज.आ.)

3. केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के हिंदी अनुभाग में नई भर्ती के माध्यम से सेवा ज्वाइन करने वाली कनिष्ठ अनुवादक के संबंध में चर्चा के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि संबंधित कार्मिक की स्थापना-9 अनुभाग से हिंदी अनुभाग में तत्काल तैनाती की जाए।

(कार्रवाईःस्थापना-9 अनुभाग)

4. केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा के दौरान, यह पाया गया है कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा धारा 3(3) के अंतर्गत भेजे गए पत्रों की संख्या अत्यंत कम है तथा कुछ कार्यालयों द्वारा 'ख' और 'ग' क्षेत्रों को भेजे गए पत्रों की संख्या शून्य बताई गई है, जो सही प्रतीत नहीं होती। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि ये कार्यालय अपने आंकड़ों की पुन: जांच करें और अगली तिमाही रिपोर्ट में सही आंकड़े भरें। आगामी बैठक में इस पर पुन: चर्चा की जाएगी।

(कार्रवाईः सभी क्षेत्रीय कार्यालय/हिंदी अनुभाग)

5. सदस्य सचिव महोदया ने बताया कि हाल ही में दिनांक 18 मार्च, 2024 को अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के कर-कमलों से लोकार्पित 'आंतरिक शब्दावली' को केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर लगाने हेतु एसएमडी निदेशालय से अनुरोध किया जाना अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदय ने एसएमडी निदेशालय को निदेश दिया कि 'आंतरिक शब्दावली' को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए ताकि यह सबके लिए सहज रूप से उपलब्ध हो। साथ ही, वेबसाइट पर इसे 'व्हाट्स न्यू' में दिखाएं।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

6. सदस्य सचिव महोदया ने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा नियमों आदि के विषय में

मांगी गई जानकारियों को सबके लिए सुलभ बनाने हेतु अनुरोध किया कि वेबसाइट पर राजभाषा कॉर्नर जैसा कोई प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए ताकि धारा 3(3), नियम-5 तथा राजभाषा नीति एवं नियमों से जुड़ी सूचनाओं को सबके लिए उपलब्ध कराया जा सके। अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग महोदय ने एसएमडी निदेशालय को निदेश दिया कि तकनीकी दृष्टि से इसके लिए उचित उपाय किए जाएं।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

7. सदस्य सचिव महोदया ने बताया कि केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट को नए सिरे से अद्यतित/द्विभाषीकरण करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय ने इस कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु एसएमडी निदेशालय को निदेश दिया। अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने एसएमडी निदेशालय को इस दिशा में शीघ्र समुचित कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

8. केंद्रीय जल आयोग में हिंदी में टिप्पणी लिखने के संबंध में चर्चा के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने एसएमडी निदेशालय को निदेश दिया कि ई-ऑफिस में हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या प्राप्त करने को सहज बनाने हेतु तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराएं। साथ ही, उन्होंने एसएमडी निदेशालय को यह भी निदेश दिया कि केंद्रीय जल आयोग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम ई-ऑफिस में हिंदी में दर्शाए जाएं, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

अध्यक्ष महोदय ने अंत में केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी उपस्थित अधिकारियों को पुन: निदेश दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तक सीमित न रहकर हम सभी अपना शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने का भरसक प्रयास करें।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।

अनुबंध - 'क'

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 28 मार्च, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित 155वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी	
1.	कुश्विन्दर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	पी.एम. स्कॉट, सदस्य, नदी प्रबंध स्कंध, के.ज.आ.	सदस्य
3.	पद्मा दोर्जे, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), के.ज.आ.	सदस्य
4.	प्रवीण कुमार, सचिव, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
5.	आनंद चन्द्र मल्लिक, निदेशक (स्थापना-3), के.ज.आ.	सदस्य
6.	अनंत कुमार गुप्ता, निदेशक, पीसीपी/प्रशिक्षण निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
7.	भूपिन्द्र सिंह, निदेशक, तकनीकी समन्वय, के.ज.आ.	सदस्य
8.	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, निदेशक (स्थापना-2), के.ज.आ.	सदस्य
9.	भाल चन्द्र विश्वकर्मा, निदेशक, लागत मू.(सि.),ज.आ.एवं परि.(सम.),के.ज.आ.	सदस्य
10.	असित चतुर्वेदी, निदेशक, यमुना बेसिन संगठन, के.ज.आ., दिल्ली	सदस्य
11.	राकेश टोटेजा, निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
12.	फहीम हैदर, निदेशक, एसएमडी निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
13.	शेखरेन्दु झा, निदेशक, डब्ल्यूएसई निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
14.	धर्मेन्द्र कुमार, लेखा अधिकारी, के.ज.आ.	सदस्य
15.	रजत शर्मा, उप निदेशक, के.ज.आ.	सदस्य
16.	राजीव कुमार शर्मा, उप निदेशक, अभिकल्प एवं अनु.(सम.), निदे., के.ज.आ.	सदस्य
17.	नीरज कुमार शर्मा, उप निदेशक, पुस्त.एवं सू.ब्यूरो, के.ज.आ.	सदस्य
18.	अमिताभ तिवारी, उप निदेशक, एसएमडी निदे., के.ज.आ.	सदस्य
19.	सचिन गुप्ता, उप निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
20.	रजिन्दर पाल, उप निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य सचिव
	अन्य सदस्य	
1.	छन्नू राम, निजी सचिव, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
2.	विनय कुमार मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग

3.	इंद्रा एस., वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
4.	पुनीत पाण्डेय, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिंदी अनुभाग

अनुबंध - 'ख'

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 29 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित 153वीं बैठक में ऑन-लाइन भाग लेने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य अभियंता/प्रतिनिधि अधिकारियों की सूची:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी	
	'क' क्षेत्र	
1.	आदित्य शर्मा, मुख्य अभियंता, नर्मदा बेसिन संगठन, भोपाल	
2.	अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता, ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, लखनऊ	
3.	मुकेश कुमार, अधिशासी अभियंता, निचली गंगा बेसिन संगठन, पटना	
4.	असित चतुर्वेदी, निदेशक, यमुना बेसिन संगठन, नई दिल्ली	
	'ख' क्षेत्र	
5.	दत्तकुमार सोपान चासकर, मुख्य अभियंता, माही तापी बेसिन संगठन, गांधीनगर	
6.	एम.एस. सहारे, अधीक्षण अभियंता, प्रबोधन (मध्य), नागपुर	
7.	दत्तकुमार सोपान चास्कर, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे	
8.	राजपाल सिंह वर्मा, अधीक्षण अभियंता (मध्य), सिंधु बेसिन संगठन, चंडीगढ़	
	'ग' क्षेत्र	
9.	रीडिंग शिमरै, मुख्य अभियंता, बराक एवं अन्य बेसिन संगठन, शिलांग	
10.	जी.एल.बंसल, मुख्य अभियंता, ब्रह्मपुत्र बेसिन संगठन, गुवाहाटी	
11.	टी.के.शिवराजन, मुख्य अभियंता, कावेरी एवं दक्षिणी नदियां संगठन, कोयंबटूर	
12.	डी.रंगारेड्डी, मुख्य अभियंता, कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन संगठन, हैदराबाद	
13.	अजय कुमार प्रधान, मुख्य अभियंता, महानदी एवं पूर्वी नदियां संगठन, भुवनेश्वर	
14.	डी.रंगारेड्डी, मुख्य अभियंता, प्रबोधन (दक्षिण), बंगलुरू	
15.	एस.विश्वास, मुख्य अभियंता, तीस्ता बेसिन संगठन, कोलकाता	